



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012—ज्येष्ठ 25, शक 1934

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सारिष्यकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

क्र. एफ. 1(ए) 148-95-ब-2-दो.—श्री डी. पी. गुप्ता, भाषुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुरैना को दिनांक 11 से 23 जून 2012 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 9, 10 एवं 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री डी. पी. गुप्ता, भाषुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय कुमार, भाषुसे, पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भाषुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अंतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अंतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भाषुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भाषुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 30 मई 2012

क्र. एफ-1(ए)185-91-ब-2-दो.—श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व), विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के बदले में श्रीनगर जाने की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री जी पी. सिंह	—	स्वयं
2. श्रीमती निधि सिंह	—	पत्नी
3. श्री भरत सिंह	—	पुत्र
4. श्री उत्कर्ष सिंह	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व) विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री जी. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

क्र. एफ-1(ए)-75-90-ब-2-दो.—(1) श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (यातायात), पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 14 से 23 जून 2012 तक दस दिवस अर्जित अवकाश, 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012

में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार “लद्दाख” परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री ए. के. श्रीवास्तव	—	स्वयं
2. श्रीमती मंजुल श्रीवास्तव	—	पत्नी
3. कु. अकांक्षा श्रीवास्तव	—	पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (यातायात), पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्य श्री के. एल. मीणा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, विशेष अभियान, पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक (यातायात), पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक (यातायात), पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-165-94-ब-2-दो.—श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद को दिनांक 5 से 14 जून 2012 तक दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार कश्मीर की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित

सदस्यों के साथ पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	—	स्वयं
2.	श्रीमती वैशाली गुप्ता	—	पत्नी
3.	वासु गुप्ता	—	पुत्र
4.	देव गुप्ता	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री अनिल कुमार गुप्ता, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद का कार्य श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (4) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ. 1(ए) 254-88-ब-2-दो.—श्री संजय राणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 4 से 8 जून 2012 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 3, 9 एवं 10 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री संजय राणा, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री पी. डी. खैरा, मुख्य परियोजना यंत्री, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को वर्तमान कार्य के साथ-साथ, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय राणा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-267-86-ब-2-दो.—श्री यू. के. लाल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 6 से 15 जून 2012 तक कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 16 एवं 17 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री यू. के. लाल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार) पुलिस मुख्यालय भोपाल को उक्त अवकाश अवधि में वर्तमान खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में भ्रमण की पात्रता के तहत अवकाश यात्रा के अन्तर्गत “नुब्रा वेली, लेह, जम्मू एवं कश्मीर” जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ यात्रा अनुमति दी जाती है:—

1.	श्री यू. के. लाल	—	स्वयं
2.	श्रीमती रंजना लाल	—	पत्नी
3.	कु. सौम्या	—	पुत्री

(3) उक्त यात्रा हेतु श्री यू. के. लाल, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(4) उक्त अवकाश अवधि में श्री यू. के. लाल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार) पुलिस मुख्यालय भोपाल का कार्य डॉ. पी. आर. माथुर, अति. पुलिस महानिदेशक (योजना) पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(5) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(6) श्री यू. के. लाल, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (4) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(7) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

## आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2012

क्र. एफ-7-33-12-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 नवंबर 2011 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेगेन्ट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अक्टूबर 2011 से छः माह के लिये नियुक्त किया गया था यह अवधि दिनांक 16 अप्रैल 2012 को समाप्त हो गई है।

(2) राज्य शासन एतद्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेगेन्ट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2012 से एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक 16 अप्रैल 2013 तक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सक्सेना, उपसचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

फा. क्र. 17(ई) 117-2006-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 26 सितम्बर 2006 द्वारा श्री मधुसूदन सिंह चौहान, अधिवक्ता/नोटरी, निवासी-209, एम. जी. रोड, तहसील बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश को तहसील बागली, जिला देवास में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था परन्तु उनकी दिनांक 16 नवम्बर 2007 को मृत्यु हो जाने के कारण तहसील बागली में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

फा. क्र. 1 (बी)-22-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसादजी शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, व्यावरा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप : श्री ओमप्रकाश शर्मा की जन्म तिथि 18-7-1963 (अट्ठारह जुलाई उन्नीस सौ त्रैसठ) है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 18 जुलाई 2025, (अट्ठारह जुलाई दो हजार पच्चीस) को पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1 (बी)-22-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2012 द्वारा नियुक्त श्री गिरीश शर्मा, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले राजगढ़ को उक्त पद पर आगामी 3 वर्ष की अवधि दिनांक 27 जनवरी 2012 से 26 जनवरी 2015 तक की कालावधि हेतु नियुक्त करता है। उक्त नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप : उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 12 अप्रैल 2029 को पूर्ण होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल वर्मा, सचिव।

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2012

क्र. एफ-11-2-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	ग्वालियर	बेहट	गढ़ी	ग्राम बेहट प.ह.नं. 155	706	0.470	शासकीय आबादी गोठान.	नहीं

क्र. एफ-11-3-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	मण्डला	मण्डला	बिंझिया	मकबरा	128	0.089 हेक्टर	आबादी	नहीं

क्र. एफ-11-4-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्सीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आक्यॉलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर	बेहट	झिलमिलेश्वर महादेव मंदिर (साधना स्थली तानसेन की).	614 616	0.345 0.157	शासकीय	नहीं

क्र. एफ-11-5-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्सीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आक्यॉलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	गोपालपुर (लम्हेटाघाट)	मुड़ियामठ (बौद्धस्तूप)	220/9	010 हेक्टर	कुमारी गुजननंदा नाबा. वल्द राकेशनंदा.	हाँ

भोपाल, दिनांक 26 मई 2012

क्र. एफ-11-6-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्सीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एकट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

### अनुसूची

क्र	राज्य	जिला	परिक्षेत्र	स्थल	रेंज	Com. No.	Latitude	Longitude	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	मध्यप्रदेश	होशंगाबाद	सतपुड़ा टाईगर रिजिक्ट के अंतर्गत छः स्थानों पर उपलब्ध शैलचित्रों का संरक्षण।	चुरनागुन्दी शैलचित्र।	पार्क रेंज कानती।	RF 237	22/29/15.3	78/4/34.5	मध्यप्रदेश शासन	नहीं वन विभाग।
2	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	निशानगढ़ काजरी शैलचित्र।	पार्क रेंज पचमढ़ी	PF 259	22/27/31.3	78/20/28.1	-तदैव-	नहीं।
3	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	भुरभुरी लाइन वेलखंदार शैलचित्र-	पार्क रेंज पचमढ़ी	RF 479	22/28/46.6	78/17/9.090	-तदैव-	नहीं
4	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	तस्वीर पहाड़ी हर्रापाला शैलचित्र-	गेंम रेंज बोरी	RF 15	22/28/4.90	78/15/4.45	-तदैव-	नहीं
5	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	बाबड़ी हर्रापाल-1 शैलचित्र-	गेंम रेंज बोरी	RF 15	22/28/2.20	78/15/8.59	-तदैव-	नहीं
6	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	बाबड़ी हर्रापाल-2 शैलचित्र-	गेंम रेंज बोरी	RF 15	22/28/1.22	78/15/8.92	-तदैव-	नहीं

क्र. एफ-11-8-2010-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्कोलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल एकड़ में	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	शहडोल	सोहागपुर	लखबरिया	प्राचीन शिवमंदिर एवं गुफाएं कुल संख्या 13.	34 35 37 39 43 38 55 56	4.63 0.43 0.82 3.86 0.40 1.67 2.00 0.20	श्री शिवजी प्रबंधक कलेक्टर, शहडोल, म. प्र. शासन.	हाँ
						योग . .	<u>13.61</u>	

क्र. एफ-11-19-2008-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्कोलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12, सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति

से इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

### अनुसूची

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	म. प्र.	इन्दौर	इन्दौर	कस्बा इन्दौर.	श्रीमंत महाराजा सवाईजी यशवंतराव होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापी के अनुसार).	खसरा नं. 663/1	650	नजूल (आबादी)	श्री खासगी देवी अहिल्या होल्कर म. प्र. शासन. द्वारा पूजाकर्म किया जाता है.
2	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	श्रीमंत के कृष्णाबाई साहिब होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापी के अनुसार).	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
3	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	(1) श्री के. दूसरे तुकोजीराव महाराज होल्कर की छत्री.  (2) श्री के. शिवाजीराव महाराज होल्क की छत्री (दोनों छत्रियों पर लगी शिलालेख पर खुर्द नापी के अनुसार).	खसरा नं. 663/1	650 हे.	नजूल (आबादी) म. प्र. शासन.	तदैव
4	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	प्रिय भगीरती राज कन्या मनोरमा राय होल्कर की छत्री (छत्रियों पर लगी शिलालेख पर लिखे खुर्द नापी के अनुसार).	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव,

## विभाग प्रभुखों के आदेश

**मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग**  
**“निर्वाचन भवन”**  
**58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश**

### आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

क्र. एफ. 67-62-10-तीन-824.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके परिणाम की घोषणा की तारीख से निर्वाचन के प्रतिवेदन की घोषणा की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कुकडेश्वर, जिला नीमच के आम निर्वाचन में श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, नीमच के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, नीमच के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, नीमच के माध्यम से

दिनांक 6 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश परित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को नोटिस दिनांक 6 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 21 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। आयोग द्वारा श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को नोटिस तामीली पश्चात निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला नीमच से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 मार्च 2012 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली के उपरांत भी इनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रतिवेदन दिनांक 19 मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 15 मई 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 9 अप्रैल 2012 की तामीली संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच के माध्यम से श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को विहित समयावधि में दिनांक 5 मई 2012 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोनित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मी बाई पति श्री बंशीलाल खाती को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कुकडेश्वर जिला नीमच का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

क्र. 4399-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
क्रमांक	(1)	(2)

उच्चस्तर  
इन्दौर संभाग

1	श्री आशीष कुमार सिंह	अधीक्षक
---	----------------------	---------

निम्नस्तर  
इन्दौर संभाग

1	श्री शेखर बागडे	शिक्षक
---	-----------------	--------

जबलपुर संभाग

2	श्री मुक्ता अवस्थी	हाउस मास्टर
3	श्री शशिकान्त ठाकुर	मेट्रन.

क्र. 4404-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्य, उद्योग रोजगार विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
क्रमांक	(1)	(2)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री विनित कुमार रजत	प्रबंधक.
---	----------------------	----------

क्र. 4406-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता

विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—सहकारिता तथा सामान्य विधि प्रश्नपत्र-2 (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
क्रमांक	(1)	(2)

उच्चस्तर  
ग्वालियर संभाग

1	श्री दिनेश कुमार चौरसिया	सहायक आयुक्त
---	--------------------------	--------------

भोपाल संभाग

2	श्री अखिलेश चौहान	सहायक आयुक्त
---	-------------------	--------------

जबलपुर संभाग

3	श्रीमती आरती पटेल	सहायक आयुक्त
---	-------------------	--------------

इन्दौर संभाग

4	श्री पुष्टेन्द्र कुमार कुशवाह	सहायक आयुक्त
---	-------------------------------	--------------

5	कु. वर्षा श्रीवास	सहायक आयुक्त
---	-------------------	--------------

6	कु. श्वेता रावत	सहायक पंजीयक.
---	-----------------	---------------

निम्नस्तर

उज्जैन संभाग

7	श्री छविकान्त वाघमारे	सहायक आयुक्त.
---	-----------------------	---------------

क्र. 4408-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वाणिज्य उद्योग रोजगार विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
क्रमांक	(1)	(2)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री विनित कुमार रजत	प्रबंधक.
---	----------------------	----------

क्र. 4411-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—सहकारिता लेखा तथा लेखा परीक्षण-4 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर  
जबलपुर संभाग**

1 श्रीमती आरती पटेल	सहायक आयुक्त
---------------------	--------------

**इन्दौर संभाग**

2 श्री पुष्टेन्द्र कुमार कुशवाह	सहायक आयुक्त
3 कु. वर्षा श्रीवास	सहायक आयुक्त
4 कु. श्वेता रावत	सहायक पंजीयक

**उज्जैन संभाग**

5 श्री छबिकान्त वाघमारे	सहायक आयुक्त
-------------------------	--------------

**निम्नस्तर  
भोपाल संभाग**

6 श्री अखिलेश चौहान	सहायक आयुक्त
---------------------	--------------

**ग्वालियर संभाग**

7 श्री दिनेश कुमार चौरसिया	सहायक आयुक्त.
----------------------------	---------------

क्र. 4423-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर  
इन्दौर संभाग**

1 श्री आशीष कुमार सिंह	अधीक्षक
------------------------	---------

क्र. 4427-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर  
इन्दौर संभाग**

1 श्री सुनील कुमार वर्मा	सहायक जनसंपर्क अधिकारी.
2 श्री पुष्टेन्द्र वास्कले	सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

**ग्वालियर संभाग**

3 श्री संजीव कुमार पाठक	सहायक संचालक (जनसंपर्क).
-------------------------	--------------------------

**भोपाल संभाग**

4 कु. बिन्दु सुनील	सहायक संचालक (जनसंपर्क).
--------------------	--------------------------

क्र. 4429-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा पशु पालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों की लेखा भाग-दो (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**निम्नस्तर  
जबलपुर संभाग**

1 डॉ. संतोष कुमार डहेरिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यन.
---------------------------	---------------------------

क्र. 4431-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—पंचायत राज

विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-  
क्रमांक  
(1)

परीक्षार्थी का नाम  
(2)

पदनाम  
(3)

**उच्चस्तर**  
**होशंगाबाद संभाग**

1 कु. कंचन डोगरे

मुख्य कार्यपालन  
अधिकारी.

2 श्री जितेन्द्र कुमार जैन

विकासखण्ड अधिकारी

3 श्री अभिषेक गुप्ता

सहायक अधीक्षक,  
भू-अभिलेख.

4 श्री देवशंकर धुर्वे

सहायक अधीक्षक,  
भू-अभिलेख.

**सागर संभाग**

5 श्री राहुल पाण्डे

विकासखण्ड अधिकारी

6 श्री श्रीपत अहिरवार

राजस्व निरीक्षक

7 श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी

सहायक अधीक्षक,  
भू-अभिलेख (सत्रेय).

8 डॉ. अनिल कुमार गुप्ता

सहायक अधीक्षक,  
भू-अभिलेख.

9 डॉ. राकेश कुमार अहिरवार

सहायक अधीक्षक,  
भू-अभिलेख.

**भोपाल संभाग**

10 श्री शनिपाल शाह परतेती

राजस्व निरीक्षक

11 श्री राजेन्द्र सिंह

राजस्व निरीक्षक

12 श्री मोतीलाल पंथी

राजस्व निरीक्षक

13 श्री दर्शन लाल नेगी

राजस्व निरीक्षक

14 श्री धनीराम अहिरवार

राजस्व निरीक्षक

15 श्री विक्रम सिंह खटीक

राजस्व निरीक्षक

16 श्री शिवराम चढ़ार

राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)

17 श्री रतिराम अहिरवार

राजस्व निरीक्षक

18 श्री रज्जूलाल अहिरवार

राजस्व निरीक्षक (सत्रेय)

19 श्री विजय सिंह सराठिया

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख (सत्रेय).

**जबलपुर संभाग**

20 श्री तेजीराम उड़के

राजस्व निरीक्षक

(1) (2) (3)

21 श्री लोकमन कोरी

राजस्व निरीक्षक

22 कु. निधि मार्को

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख,

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

23 श्री हीरालाल तिवारी

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख (सत्रेय).

राजस्व निरीक्षक

24 श्रीमती मर्यादा बागड़े

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक

25 श्री रामलोचन तिवारी

राजस्व निरीक्षक

26 श्री दुर्गा पटेल

सहायक अधीक्षक

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक

27 श्री रजनसिंह कुर्वेती

राजस्व निरीक्षक

28 श्री मनीराम आर्मो

राजस्व निरीक्षक

29 श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते

राजस्व निरीक्षक

30 श्री राम प्रसाद मार्को

राजस्व निरीक्षक

31 श्री अरुण कुमार चौरसिया

राजस्व निरीक्षक

श्री शिव प्रसाद कौरी

(सत्रेय).

**ग्वालियर संभाग**

32 श्री घनश्याम शर्मा

राजस्व निरीक्षक

33 श्री प्रज्ञेश पचौरी

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक

34 श्री ए. के. सिंह

राजस्व निरीक्षक

35 श्री अशोक कुमार गौतम

राजस्व निरीक्षक

36 श्रीमती काजल दीक्षित

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक

37 श्री नरेश कुमार रायपुरिया

राजस्व निरीक्षक

38 श्री श्याम सुन्दर सिंह सराहिया

राजस्व निरीक्षक

39 श्री भगवती शरण शिल्पकार

राजस्व निरीक्षक

40 श्री पंकज दरोठिया

विकासखण्ड अधिकारी

**उज्जैन संभाग**

41 श्री लोकेश आहुजा

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख (सत्रेय).

सहायक अधीक्षक,

44 श्री गौरव यादव

विकासखण्ड अधिकारी

(सत्रेय).

**शहडोल संभाग**

45 श्री प्रेमलाल चौधरी

राजस्व निरीक्षक

46 श्री संतोष कुमार चौधरी

राजस्व निरीक्षक

47 श्री द्वारका प्रसाद दहायत

राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<b>इन्दौर संभाग</b>					
48	सुश्री श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	17	श्री शंकर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
49	श्री आर.सी. मण्डलोई	अधीक्षक, आयुक्त कार्यालय.	18	श्री शिव्बू सिंह कसोरमा	राजस्व निरीक्षक
50	श्रीमती वंदना शिंदे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सत्रेय).	19	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक
51	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सत्रेय).	20	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
52	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख (सत्रेय).	21	श्री मिश्रीलाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
53	श्री रमेशचन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक	22	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	राजस्व निरीक्षक
<b>निम्नस्तर होशंगाबाद संभाग</b>					
1	श्री यजुवेन्द्र कोरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.	29	श्री देवेन्द्र सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
2	श्रीमती सरिता धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	30	श्री राजाराम दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
3	कु. ज्योती ढोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	31	श्री चन्द्रभान दीवान	राजस्व निरीक्षक
4	श्री तीरथ प्रसाद इरपाची	राजस्व निरीक्षक	32	श्री अवधेश कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
<b>सागर संभाग</b>					
5	श्रीमती वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	33	श्री ज्ञानचन्द्र राय	राजस्व निरीक्षक
6	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक	34	श्री राजकुमार श्रीपाल	राजस्व निरीक्षक
7	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक	35	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
8	श्री रजन सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	36	श्रीमती मंजूला महोलिया	राजस्व निरीक्षक
9	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक	37	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
10	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	38	कु. स्मृति खण्डेलवाल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
11	श्री आदित्य कुमार सोनकिया	राजस्व निरीक्षक	39	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
12	श्री सुरेश चन्द्र अवस्थी	राजस्व निरीक्षक	40	श्री राजूलाल नामदेव	राजस्व निरीक्षक
<b>भोपाल संभाग</b>					
13	श्री योगेश्वर सिंह भारतीय	राजस्व निरीक्षक	41	श्री राजकुमार उड्के	राजस्व निरीक्षक
14	श्री गोविन्द सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक	42	श्री आर.के. कटाराया	राजस्व निरीक्षक
15	श्री थान सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	43	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री संतोष पर्थौरिया	राजस्व निरीक्षक	44	श्री गणेश प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
			45	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
			46	श्री अनिल कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
			47	श्री राम कैलाश कौल	राजस्व निरीक्षक
			48	श्री राजेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
			49	श्री रमेश कुमार मेरावी	राजस्व निरीक्षक
			50	श्री सुन्दरलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
			51	श्री अमृतलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
			52	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
53	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	86	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
54	श्री केशरीचंद बघेल	राजस्व निरीक्षक	87	श्री दीलिप दरोगा	राजस्व निरीक्षक
55	श्री कल्याण सिंह क्षत्रिय	राजस्व निरीक्षक	88	श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
56	श्री भागचंद सनोडिया	राजस्व निरीक्षक	89	श्री बालाप्रसाद शर्मा	राजस्व निरीक्षक
57	श्री मंगलसिंह मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	90	श्री अशोक भारती	राजस्व निरीक्षक
58	श्री राजेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक	91	श्री दिनेश कुमार व्यास	राजस्व निरीक्षक
59	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	92	श्री हरिशचन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक
60	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक	93	श्री लालसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
61	श्री लालमणि पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	94	श्री रामप्रसाद बेरेलिया	राजस्व निरीक्षक
62	श्री शेलेश गौड	राजस्व निरीक्षक	95	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
63	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक	96	श्री मोहम्मद रजाक खान	राजस्व निरीक्षक
64	श्री रायसिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक	97	श्री राम प्रकाश कनेरिया	राजस्व निरीक्षक
65	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक	98	श्री हरिओम सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक
66	श्री जगीश प्रसाद सिंगौर	राजस्व निरीक्षक	99	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
67	श्री नारायण प्रसाद कुशवाह	राजस्व निरीक्षक	100	श्री विश्राम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
68	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	101	श्री रामेश्वर सिंह आर्य	राजस्व निरीक्षक
69	श्री रत्न सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	102	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
70	श्री लखन लाल लोधी	राजस्व निरीक्षक	103	श्री अलोईस लकड़ा	अधीक्षक
			104	श्री लोकेश कुमार नालौरै	विकासखण्ड अधिकारी
			105	श्री मनीस बागरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

### ग्वालियर संभाग

71	श्री चन्द्रभान सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
72	श्री प्रदीप नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
73	श्री भूदेव सिंह महोबिया	राजस्व निरीक्षक
74	श्रीमती नीलम जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
75	श्री पंकज शर्मा	राजस्व निरीक्षक
76	श्री राजेश वत्स	राजस्व निरीक्षक
77	श्री निरंजन सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
78	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
79	श्री संजय सौरसिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
80	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक
81	श्री रामनारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
82	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
83	श्री शेलेन्द्र देव सिंह सेंगा	राजस्व निरीक्षक
84	श्री अनिल सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
85	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक

### उज्जैन संभाग

106	श्रीमती प्रीति राजपूत
107	श्री अजय सरावगी
108	श्री जगत सिंह ठाकुर
109	सुश्री रूचि जैन
110	सुश्री प्रियंका टैगोर
111	कु. श्रुति चौधरी
112	श्री रूपसिंह राजपूत

### शहडोल संभाग

113	श्री रामाधर अहिरवार
114	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
115	श्रीमती विमला सिंह
116	श्री शिव कुमार सिंह
117	श्री उमेश्वर पैकरा

सहायक अधीक्षक,  
भू-अभिलेख.  
राजस्व निरीक्षक  
विकासखण्ड अधिकारी  
मुख्य कार्यपालन  
अधिकारी.  
विकासखण्ड अधिकारी

राजस्व निरीक्षक  
राजस्व निरीक्षक  
राजस्व निरीक्षक  
राजस्व निरीक्षक  
राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
118	श्री दिलीप सिंह	राजस्व निरीक्षक	3	कु. श्वेता रावत	सहायक पंजीयक
119	श्री उपेन्द्र कुमार ढिवेदी	राजस्व निरीक्षक			निम्नस्तर
120	श्री मोहन लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक			ग्वालियर संभाग
121	श्री संदीप कुमार बघेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	5	श्री दिनेश कुमार चौरसिया	सहायक आयुक्त
122	श्री विनोद सिंह	राजस्व निरीक्षक			

**इन्दौर संभाग**

123	श्री बाबूसिंह निनामा	राजस्व निरीक्षक
124	श्री राधेश्याम धाकड़	राजस्व निरीक्षक
125	श्री मुकेश मालवीय	राजस्व निरीक्षक
126	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
127	श्री पुनिया परमार	राजस्व निरीक्षक
128	श्री आदर्श शर्मा	नायब तहसीलदार
129	श्री नीरज कुमार बैस	राजस्व निरीक्षक
130	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
131	श्री पूनम सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
132	श्री नामदेव नैयूर	राजस्व निरीक्षक
133	श्री भीमराव बानखेडे	राजस्व निरीक्षक
134	श्री कैलाश सिसौदिया	राजस्व निरीक्षक
135	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक
136	श्री संतोष परमार	राजस्व निरीक्षक
137	श्री नरेश बिलवकर	राजस्व निरीक्षक
138	श्री कमलेश पाराशर	राजस्व निरीक्षक
139	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक
140	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
141	श्री प्रदीप सिंगलू	राजस्व निरीक्षक
142	श्री महेन्द्र कुमार बड़ौले	राजस्व निरीक्षक

क्र. 4433-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—सहकारिता सामान्य-1 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
क्रमांक		
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर****इन्दौर संभाग**

1	श्री पुष्पेन्द्र कुमार कुशवाह	सहायक आयुक्त
2	कु. वर्षा श्रीवास	सहायक आयुक्त

3	कु. श्वेता रावत	सहायक पंजीयक
		निम्नस्तर
		ग्वालियर संभाग
5	श्री दिनेश कुमार चौरसिया	सहायक आयुक्त

**जबलपुर संभाग**

1	श्रीमती आरती पटेल	सहायक आयुक्त
		भोपाल संभाग
2	श्री अखिलेश चौहान	सहायक आयुक्त

क्र. 4435-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
क्रमांक		
(1)	(2)	(3)

**उज्जैन संभाग**

1	श्री ऐ.के. श्रीवास्त्री	वन क्षेत्रपाल
---	-------------------------	---------------

**इन्दौर संभाग**

2	श्री अयज सागर	वन क्षेत्रपाल
3	श्री विजय सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
4	श्री रमेश कुमार मरकाम	वन क्षेत्रपाल
5	कु. आंकाशा खातरकर	वन क्षेत्रपाल
6	कु. श्यामलता मैरावी	वन क्षेत्रपाल

**शहडोल संभाग**

7	श्री विवेक कुमार कौल	वन क्षेत्रपाल
8	कु. संगीता सिंह	वन क्षेत्रपाल
9	श्री मनोज कुमार वास्कले	वन क्षेत्रपाल
10	श्री राजेन्द्र सिंह नरगेश	वन क्षेत्रपाल
11	श्री संतोषिया मरावी	वन क्षेत्रपाल
12	कु. प्रीति साक्ष्य	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<b>जबलपुर संभाग</b>					<b>होशंगाबाद संभाग</b>
13 श्री सुनील कुमार	वन क्षेत्रपाल	51 श्री मुकेश कुमार डूडवे	वन क्षेत्रपाल		
14 श्री शैलेन्द्र सिंह उड़िके	वन क्षेत्रपाल	52 सुश्री पुष्पलता मौर्य	वन क्षेत्रपाल		
15 श्री हेमेन्द्र सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	53 कु. श्रीतिबाला ठाकुर	वन क्षेत्रपाल		
16 श्री भूरा गायकवाड़	वन क्षेत्रपाल	54 कु. वंदना मरावी	वन क्षेत्रपाल		
17 श्री हृदयलाल सिंह	वन क्षेत्रपाल	55 श्रीमती सुकृति ओसवाल	वन क्षेत्रपाल		
18 श्री इन्द्रसिंह थाकड़	वन क्षेत्रपाल	56 श्री सिद्धार्थ दीपांकर	वन क्षेत्रपाल		
19 श्री कुलदीप राजौरिया	वन क्षेत्रपाल	57 श्री पंकज चौहान	वन क्षेत्रपाल		
20 कु. अर्चना नारनवरे	वन क्षेत्रपाल	58 श्रीमती विनीता जाटव	वन क्षेत्रपाल		
21 श्री अशोक कुमार गौतम	वन क्षेत्रपाल	59 श्रीमती रिकी आर्य	वन क्षेत्रपाल		
22 श्री सीताराम नर्माश	वन क्षेत्रपाल	60 श्री हेमराम वट	वन क्षेत्रपाल		
23 श्री गुलाब सिंह बड़े	वन क्षेत्रपाल	61 श्री सुनील कुमार अशोक	वन क्षेत्रपाल		
24 कु. अभिश्वेता रावत	वन क्षेत्रपाल	62 सुश्री मोनिका मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल		
25 श्री रामनरेश लोहार	वन क्षेत्रपाल	63 श्री अमित खना	वन क्षेत्रपाल		
26 श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	वन क्षेत्रपाल	64 श्री बाबूलाल मूलवे	वन क्षेत्रपाल		
27 श्री इन्दर सिंह बारे	वन क्षेत्रपाल	65 श्री आशीष खोब्रागड़े	वन क्षेत्रपाल		
28 श्री अरुण सिंह	वन क्षेत्रपाल	66 श्री राम कुमार	वन क्षेत्रपाल		
29 श्री जूलियस पिपलाद	वन क्षेत्रपाल	67 श्री वीरेन्द्र कुमार	वन क्षेत्रपाल		
30 श्री राजेश चौहान	वन क्षेत्रपाल	68 कु. माधरी वाडिया	वन क्षेत्रपाल		
31 श्री बसंत कुमार बरकड़े	वन क्षेत्रपाल	69 सुश्री पालय राजावत	वन क्षेत्रपाल		
32 कु. कीर्ति मरकाम	वन क्षेत्रपाल	70 श्री श्याम सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल		
33 कु. अंशु एलिस बरवा	वन क्षेत्रपाल				
34 श्री एम.एल. बरकड़े	वन क्षेत्रपाल				
35 श्री मनमोहन सिंह जाटव	वन क्षेत्रपाल				
36 श्री आलविन बर्मन	वन क्षेत्रपाल				
37 श्री जितेन्द्र अवासे	वन क्षेत्रपाल				
38 श्री उत्तम सिंह सस्तया	वन क्षेत्रपाल				
39 श्री सुरेन्द्र कुमार जाटव	वन क्षेत्रपाल				
40 श्री राकेश कुमार अड़कने	वन क्षेत्रपाल				
41 श्री देवेश खराड़ी	वन क्षेत्रपाल				
42 श्री विक्रम सुल्या	वन क्षेत्रपाल				
43 सुश्री शैलजा ठाकुर	वन क्षेत्रपाल				
44 कु. मनीषा वाघाड़े	वन क्षेत्रपाल				
45 कु. अलका भुरिया	वन क्षेत्रपाल				
46 श्री सुनील सुलिया	वन क्षेत्रपाल				
<b>सागर संभाग</b>					<b>इन्दौर संभाग</b>
47 कु. सुचिता मेश्राम	वन क्षेत्रपाल	4 सुश्री संध्या राय			
48 कु. उर्मिला मरकाम	वन क्षेत्रपाल	5 श्री आशुतोष प्रताप सिंह			
49 श्री नरेन्द्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल	6 श्री रूडोल्फ अलवारिस			
50 कु. शोभना वर्मा	वन क्षेत्रपाल				

(1) (2)

(3)

**ग्वालियर संभाग**

7	श्री एस. सतीश बिनो	अति. पुलिस अधीक्षक
8	श्री दयदेव ए.	अति. पुलिस अधीक्षक
9	श्री अमित सिंह	अनुविभागीय अधिकारी
10	श्री अजित	सहायक पुलिस अधीक्षक
11	श्री आबिद खान	सहायक पुलिस अधीक्षक
12	श्री सिद्धार्थ बहुगृणा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
13	श्री ऋषि सरोठिया	उप पुलिस अधीक्षक
14	श्री नितेश भार्गव	नगर पुलिस अधीक्षक

**जबलपुर संभाग**

15	श्री महेश कुमार पाराशर	अति. पुलिस अधीक्षक
16	सुश्री दीपाली जैन	अति. पुलिस अधीक्षक
17	श्री निमिष अग्रवाल	अति. पुलिस अधीक्षक
18	मोहम्मद युसूफ कुरैशी	सहायक पुलिस अधीक्षक
19	श्री नवनीत भसीन	सहायक पुलिस अधीक्षक
20	श्री विनायक शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक

**सागर संभाग**

21	श्री तरुण नायक	सहायक पुलिस अधीक्षक
----	----------------	---------------------

क्र. 4441-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-  
क्रमांक

(1) (2)

परीक्षार्थी का नाम

(3)

पदनाम

**इन्दौर संभाग**

1	श्री रुडोल्फ अलवारिस	सहायक पुलिस अधीक्षक
---	----------------------	---------------------

**होशंगाबाद संभाग**

2	श्री मधु विराज	सहायक वन संरक्षक
---	----------------	------------------

क्र. 4448-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012

को प्रश्न-पत्र—विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इशुलेशन को-ऑपरेशन व अजाडर्स एरिया) (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**इन्दौर संभाग**

1	श्री दिलीप मुद्गल	सहायक यंत्री
---	-------------------	--------------

क्र. 4450-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—लेखा प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर****उज्जैन संभाग**

1	डॉ. यतिन कुमार मेहता	सहायक संचालक, कृषि
2	श्रीमती रश्मि जैन	सहायक संचालक, कृषि

**इन्दौर संभाग**

3	श्री सूरसिंह रावत	सहायक संचालक, कृषि
4	श्री जगदीश सिंह मुझाल्दा	वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.
5	श्री भरत सिंह सोलंकी	सहायक संचालक, कृषि
6	श्रीमती अल्पना वर्मा	सहायक संचालक, कृषि
7	श्री गोपाल सिंह डावर	सहायक संचालक, कृषि

**ग्वालियर संभाग**

8	श्री नवनीत कुमार गुप्ता	सहायक संचालक, कृषि
---	-------------------------	--------------------

**जबलपुर संभाग**

9	सुश्री स्वाती जायसवाल	सहायक संचालक, कृषि
10	श्रीमती मधु अली	सहायक संचालक, कृषि

## सागर संभाग

- 11 श्री अजय रोहित वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.

## भोपाल संभाग

- 12 श्री आर. एस. सोलंकी सहायक संचालक, कृषि  
13 श्री रत्नसिंह कटारा सहायक संचालक, कृषि

## निम्नस्तर

## भोपाल संभाग

- 1 श्री महिपतलाल उर्फ़ेके सहायक संचालक, कृषि

क्र. 4452-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

## इन्दौर संभाग

- 1 श्री विजय जाट सहायक संचालक, कृषि  
2 श्री सूरसिंह रावत सहायक संचालक, कृषि  
3 श्री जगदीश सिंह मुझाल्डा वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.

## ग्वालियर संभाग

- 4 श्री नवनीत कुमार गुप्ता सहायक संचालक, कृषि

## जबलपुर संभाग

- 5 सुश्री शिल्पी नेमा सहायक संचालक, कृषि  
6 श्रीमती अर्चना परस्ते सहायक संचालक, कृषि  
7 सुश्री मधु अली सहायक संचालक, कृषि

## सागर संभाग

- 8 श्री अशोक कुमार शर्मा सहायक संचालक, कृषि  
9 श्री अजय रोहित वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.

## भोपाल संभाग

- 10 श्री महिपलाल उर्फ़ेके सहायक संचालक, कृषि  
निम्नस्तर  
उज्जैन संभाग

- 1 श्रीमती निशा सोलंकी सहायक संचालक, कृषि

## भोपाल संभाग

1 श्री आर. एस. सोलंकी सहायक संचालक, कृषि  
क्र. 4454-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रश्न-पत्र—प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु- क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

## उच्चस्तर

## सागर संभाग

- 1 डॉ. राकेश कुमार अहिरवार सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

## इन्दौर संभाग

- 2 श्रीमती वंदना शिन्दे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

## निम्नस्तर

## होशंगाबाद संभाग

- 1 श्री अभिषेक गुप्ता सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.  
2 श्री विजय सिंह सराठिया सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.  
3 श्री तीरथ प्रसाद इरपाची राजस्व निरीक्षक  
4 श्री देव शंकर धुर्वे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

## सागर संभाग

- 5 श्री श्रीपात अहिरवार राजस्व निरीक्षक  
6 श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

## ग्वालियर संभाग

- 7 श्री महेन्द्र सिंह कौरवत सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.  
8 श्री भगवति शारण शिल्पकार राजस्व निरीक्षक

## इन्दौर संभाग

- 9 कु. श्वेता जमरा सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.  
10 कु. रेशम गवली सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

**जबलपुर संभाग**

11	श्रीमती मर्यादा बागडे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
12	श्री सुन्दरलाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
13	श्री रतनसिंह कुर्वेती	राजस्व निरीक्षक

क्र. 4456-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र—व्यवहारिक-आदेश लिखने के संबंध में (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	
क्रमांक	(1)	(2)	(3)

**निम्नस्तर  
उच्चार्जन संभाग**

1	श्री छविकान्त वाधमाने	सहायक आयुक्त
---	-----------------------	--------------

**इन्दौर संभाग**

2	श्री पुष्टेन्द्र कुमार कुशवाह	सहायक आयुक्त
3	कु. वर्षा श्रीवास	सहायक आयुक्त
4	कु. श्वेता रावत	सहायक पंजीयक

**जबलपुर संभाग**

5	श्रीमती आरती पटेल	सहायक आयुक्त
---	-------------------	--------------

**भोपाल संभाग**

6	श्री अखिलेश चौहान	सहायक आयुक्त.
---	-------------------	---------------

भोपाल, दिनांक 6 जून 2012

क्र. 4573-2184-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	
क्रमांक	(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर****रीवा संभाग**

1	श्री कोसमस केरकेट्टा	खनिज अधिकारी
---	----------------------	--------------

क्र. 4575-2181-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्र-मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	
क्रमांक	(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर  
इन्दौर संभाग**

1	श्री सुनील कुमार वर्मा	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.
2	श्री पुष्टेन्द्र वास्कले	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.

**भोपाल संभाग**

3	श्री दुर्गेश रायकवार	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी.
---	----------------------	--------------------------

क्र. 4579-2194-अका-विप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 अप्रैल 2012 को प्रश्नपत्रस्थायीन शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु-	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	
क्रमांक	(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर  
इन्दौर संभाग**

1	श्री आशीष कुमार सिंह	अधीक्षक
2	श्री राजेश कामदार	अधीक्षक

**निम्नस्तर  
इन्दौर संभाग**

1	श्री शेखर बांगडे	शिक्षक
---	------------------	--------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 जून 2012

क्र. एफ. 1-3-11-रास-यू.ए.-1-650.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधानांतर्गत आदेश क्रमांक एफ 1-2-2010-रास-यू.ए.-1-1594, दिनांक 7 दिसंबर 2011 द्वारा डॉ. राजकमल, रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति का कार्य संपादित करने के लिये नाम निर्देशित किया गया था।

(2) चूँकि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूँकि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (6) में वर्णित छ: माह की कालावधि दिनांक 6 जून 2012 को समाप्त हो रही है, अतः उक्त धारा 14 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर एतद्वारा डॉ. राजकमल, रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को दिनांक 7 जून 2012 से अधिनियम की धारा 13 (1) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति का कार्य संपादित करने के लिये नाम निर्देशित करता हूँ।

राम नरेश यादव, कुलाधिपति।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

क्र. 202-भू-अर्जन-2012

सीधी, दिनांक 10 अप्रैल 2012

### करारनामा

अमित शर्मा पिता श्री दुलीचन्द्र शर्मा उम्र 43 वर्ष प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटर्नी जे. पी. पावर वेंचर्स लिमिटेड (जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट 2×660 मेगावाट) पंजीकृत कार्यालय जे.यू.आई.टी. काम्पलेक्स बाकाघाट पी.ओ. धूमेहरवाली कन्डाघाट 173215 जिला सोलन (हिमांचल प्रदेश) के निमित्त बैराज निर्माण से डूब में प्रभावित ग्राम टिकरी, भुमका, निधिपुरी एवं महखोर तहसील मझौली जिला सीधी (म. प्र.) की 89.38 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन बावत्,

—प्रथम पक्ष

—द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-18/09/सात/2 ए, भोपाल दिनांक 27-2-2012 के अनुसार ग्राम टिकरी, भुमका, निधिपुरी एवं महखोर तहसील मझौली जिला सीधी में सुपर थर्मल पावर प्लांट (1320 मेगावाट) की स्थापना के निमित्त बैराज निर्माण से डूब में प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 10-4-2012 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं :—

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, म. प्र. शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होंगे। जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जावेगी।
2. कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
3. संबंधित बैराज निर्माण करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा म. प्र. शासन पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देशों के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी तथा भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शतप्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराए जाने के उपरांत ही भू-अर्जन की कार्यवाही की जावेगी।
4. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे-नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा, तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा।

5. अर्जित की गयी उक्त निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
6. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।
7. भूमि पर निर्माण करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा।
8. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भाग को कम्पनी विक्रिय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
11. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक रूप से वृक्षारोपण किया जायेगा।
13. प्रदूषण नहीं किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
15. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
18. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित “जय प्रकाश सेवा संस्थान” जो कि ट्रस्ट के रूप में गठित है, के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर कार्यवाही करेगा।
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान या आवश्यक शर्तों का कंपनी द्वारा पालन किया जायेगा।
20. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
21. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित जो वृक्ष लगे हुए हैं, जिन्हें काटने के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा, साथ ही मूल्यांकन के समय दुगने पेड़ वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा, तथा जिसकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन कम्पनी द्वारा किया जायेगा। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे।
22. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा।
23. भू-अर्जन की मुआवजे की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कंपनी से ली जावेगी।

#### विशेष शर्तें :—

1. भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देखा जाय कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है, तो PESA ACT के प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा से राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-46/97/सात-9, भोपाल दिनांक 31-1-2000 के अनुसरण में परामर्श लिया जायेगा।

2. प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (SANCTUARY) का कोई हिस्सा नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जानी होगी।

FOR-JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD.

**ATTESTED**

AUTHORISED SIGNATORY & ATTORNEY  
(अमित शर्मा)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी  
जे.पी.पावर वेन्चर्स लि.

दिनांक :- १० अप्रैल 2012

(डॉ. मिसाद अख्तर)

कालेवट्टा

जिला सीधी (म.प्र.)

दिनांक :— १० अप्रैल २०१२

Patent 39-5-12

N. 1000

~~ग्रन्थालय~~ 22-5-12 12:30 AM  
ग्रन्थालय दिनांक  
~~ग्रन्थालय~~ 22-5-12

*Chhetri*

सिंह चहेत्री  
पृष्ठ २०५  
त्रिभुवन विश्वविद्यालय  
कार्यालय अस्सी कार्यालय  
२०८० पर्व १० एकादशी

## श्रम विभाग

**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 2 जून 2012

**क्र. भसकम-12-491.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, उक्त नियम के अध्याय 32 के नियम, 279 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (एक) में दर्शाये अनुसार योजना के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के सुसंगत प्रावधानों को अनुसूची के कॉलम (दो) के अनुसार संशोधित कर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील करता है:—**

**वर्तमान प्रावधान**

(एक)

**संशोधित प्रावधान**

(दो)

1. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 6 मई 2011 के पृष्ठ क्र. 1495 में  
प्रकाशित पुत्री अथवा महिला हितग्राही के विवाह हेतु सहायता  
योजना 2004 की कंडिका.

6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं  
पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये दस हजार  
प्रति विवाह सहायता देय होगी.

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की  
दशा में रुपये नौ हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी एवं इसके  
अतिरिक्त रुपये एक हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के  
आयोजक को अलग से राशि देय होगी.

6.2 विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 दिन पूर्व तक प्रस्तुत आवेदनों  
की जांच उपरांत सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सहायता  
स्वीकृत की जायेगी.

6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं  
पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये पन्द्रह हजार  
प्रति विवाह सहायता देय होगी.

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की  
दशा में रुपये तेरह हजार सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त  
रुपये दो हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को  
अलग से राशि देय होगी.

6.2

—यथावत—

प्रभात दुबे, सचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
**खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2012**

**भू-अर्जन-प्र. क्र.-04-अ-82-11-12.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	जलकुँआ	0.70	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2 x 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क. लि. खण्डवा के अंतर्गत, परियोजना परिसर से वर्षा एवं अन्य जल निकासी के लिये नाली-निर्माण हेतु आवश्यकता है।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

**भू-अर्जन-प्र. क्र.-05-अ-82-11-12.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिंधखाल	0.05	कार्यपालन अभियंता (सिविल) एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2 x 600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क. लि. खण्डवा के अंतर्गत, परियोजना परिसर से वर्षा एवं अन्य जल निकासी के लिये नाली-निर्माण हेतु आवश्यकता है।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
नरसिंहपुर, दिनांक 16 मई 2012

प्र. क्र. 2-अ-82 वर्ष-2011-12-भू-पत्र, क्र. 1473/1474.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	दुँगरिया, न. बं.-220, प.ह.नं.-28.	0.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	दुँगरिया जलाशय निर्माण हेतु.

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

नरसिंहपुर, दिनांक 22 मई 2012

प्र. क्र. 6-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	इमलिया	1.393	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82 वर्ष-2011-12-गाड़वारा-पत्र क्र.-भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गरहा	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाड़रवारा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र.-भू-अर्जन।—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	निजोर	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भ-अर्जन अधिकारी, गाड़रवारा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 15-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसंधी

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)		
(1) सरसिंहपुर	(2) गाडरवारा	(3) खंचारी	(4) 0.239	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर	(6) सड़क निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भ-अर्जन अधिकारी, गाड़रवारा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 16-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता

है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चिरचिरा	0.280	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 17-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चारगाँवकलां	0.150	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 18-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	मरका	0.930	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 19-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4

की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)	
(1) नरसिंहपुर	(2) गाडरवारा	(3) अजंसरा	(4) 1.582	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	(6) सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)	
(1) नरसिंहपुर	(2) गाडरवारा	(3) दुधवारा	(4) 0.457	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	(6) सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 20-भू-अर्जन-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)	
(1) नरसिंहपुर	(2) गाडरवारा	(3) सिहोरा	(4) 0.778	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	(6) सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 मई 2012

क्र. क-भू-अर्जन-2012 प्र. क्र.-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में, उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा	क्षेत्रफल संख्या	द्वारा अधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (हे. में)	(6)	(7)
सागर	शाहगढ़	जालमपुर प.ह.नं. 45.	3	2.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	सोना नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र का भू-अर्जन, ग्राम जालमपुर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—1. सोना नाला जलाशय योजना के बांध डूब क्षेत्र में तथा नहर निर्माण का भू-अर्जन, ग्राम जालमपुर.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

बीना, दिनांक 30 मई 2012

क्र. क-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुबंधों के अनुसार सभी, संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा	क्षेत्रफल नं. (हे. में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	बीना	1	0.007	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.).	बी.ओ.टी. योजनात्तर्गत बीना- खिमलासा-मालथौन मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 42) के उन्नयन हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इ. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

विदिशा, दिनांक 18 मई 2012

प्र. क्र. 17-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

<b>भूमि का विवरण</b>				<b>धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी</b>	<b>सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण</b>
<b>जिला</b>	<b>तहसील</b>	<b>ग्राम</b>	<b>क्षेत्रफल (हेक्टर में)</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	थाना	2.934	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है.				

प्र. क्र. 18-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

<b>भूमि का विवरण</b>				<b>धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी</b>	<b>सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण</b>
<b>जिला</b>	<b>तहसील</b>	<b>ग्राम</b>	<b>क्षेत्रफल (हेक्टर में)</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	शहपुरा	1.358	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है.				

प्र. क्र. 19-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विदिशा शमशाबाद पैगयाई 1.500 भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विदिशा शमशाबाद बरखेडाजाट 2.618 भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 मई 2012

क्र. क-भू-अ.अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
दमोह	दमोह	तीनगुल्ली दमोह	129.94 वर्गमीटर	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पो., लि., सागर.	सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पो., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

दमोह, दिनांक 1 जून 2012

क्र. भू-अ.अ.-तेंदूखेड़ा-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

### अनुसूची

जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
दमोह	तेंदूखेड़ा	1. तेंदूखेड़ा 2. नरगुवां 3. भौंडी 4. झारैली	9.64 0.70 0.09 0.27	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह (म. प्र.).	नरगुवां जलाशय डूब क्षेत्र स्प्ल चैनल एवं नहर हेतु.	
		योग . .	10.70			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 21 मई 2012

क्र. 4587-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हरदा	डगांवाशंकर	0.072	भू-अर्जन अधिकारी, हरदा.	सिरली से घोंशबू-डगांवाशंकर-खामा पड़वां मार्ग पर माचन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा व प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि., बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 22 मई 2012

क्र. 2272-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	ताल	माधोपुर	3.395	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम।	माधोपुर तालाब निर्माण कार्य में स्पील चेनल एवं छूटे गये सर्वे नंबरों की दूब भूमि का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 23 मई 2012

क्र. 3531-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	पांदुर्णा	ग्राम-बिछुआसानी ब. नं.-274 प.ह.नं. 40 रा.नि.मं.-नांदनवाडी	रकबा 0.376	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	बिछुआसानी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांदुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आशेष लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 9 मई 2012

क्र. 1-अ-82-2011-2012-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	रसवा	2.007	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर।	ओंकोरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 162.900 मी. से निकलेने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 18 की आर. डी. 3370 मी. से 4300 मी. तक नहर के निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर के कार्यालयों में किया जा सकता है।

धार, दिनांक 4 जून 2012

क्र. 138-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1) धार	(2) धरमपुरी	(3) सेमल्दा	(4) 0.144	कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद.	ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 144-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन प्र. क्र. 4-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची की खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1) धार	(2) धरमपुरी	(3) लोहारी	(4) 0.160	कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद.	ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 150-भू-अर्जन-2012-भू-अर्जन प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची की खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1) धार	(2) धरमपुरी	(3) डोंगरगांव	(4) 0.724	(5) कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद.	ओंकारेश्वर परियोजना की दांर्यों तट अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की दांर्यों तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धारा भू-अर्जन अधिकारी, धरमपुरी एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

### कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 मई 2012

क्र. 1300-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) पड़ी पवाई	(4) 0.226	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) सिरमौर वितरक नहर के मैला कोठार माइनर के लिये 0.226 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1302-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के, लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) मैला कोठार	(4) 0.252	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) सिरमौर वितरक नहर के मैला कोठार माइनर के लिये 0.252 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 26 मई 2012

क्र. 1421-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) ग्रा. दुलहरा पवाई	(4) 1.600	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अन्तर्गत भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 31 मई 2012

क्र. 1461-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का विवरण					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) बरा	(4) 0.528	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	(6) बेलरी सब माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1463-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का विवरण					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) लौलाछ	(4) 4.40	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	(6) बेलरी सब माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1465-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का विवरण					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) गोलहटा	(4) 0.429	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	(6) बेलरी सब माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1467-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) देवरा कोठार	(4) 4.982	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बेलरी सब-माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1469-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) पिपराडा	(4) 0.756	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) नवलडा सब-माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1471-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सतना	(2) कोटर	(3) देवरी वृत्त	(4) 0.582	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	(6) बेलरी सब-माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1473-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सतना	(2) कोटर	(3) महदेवा	(4) 0.385	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बेलरी सब-माइनर नहर में आने वाली भूमियों तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1477-भू-अर्जन-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) हुजूर	(3) उकठी उर्फ हरिहरपुर.	(4) 0.375	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग, रीवा.	(6) शासकीय नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1479-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) सेमरिया जागीर.	(4) 2.736	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की हरदुआ सब- माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1481-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) हरदुआ	(4) 8.232	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की हरदुआ और कुम्हरा सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1483-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) कोटा	(4) 3.744	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की हरदुआ और कुम्हरा सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1485-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सेमरिया	(3) बधरा	(4) 7.387	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 1 जून 2012

क्र. 1500-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बाघड़ खास	0.295	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 0.295 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1502-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बाघड़ धैवैया	1.339	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 1.339 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1504-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) बरहाटोला	(4) 1.701	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 1.701 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1506-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) अमहाटोला	(4) 0.917	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बरहा टोला सब माइनर के अन्तर्गत 0.917 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 2 जून 2012

क्र. 1536-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) चुरहट	(3) कुस्परी	(4) 5.14	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	सिंहावल नहर की धुम्पा माइनर की कुस्परी सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम के लिये भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1538-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सीधी	(2) चुरहट	(3) लकोड़ा	(4) 0.75	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	(6) सिहावल नहर की धुमा माइनर की कुस्परी सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम के लिये भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 4 जून 2012

क्र. 1544-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सीधी	(2) रामपुर नैकिन	(3) कोटा	(4) 3.50	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर सम्भाग, चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	(6) कोटा सब माईनर नहर निर्माण हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1540-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	ग्राम जरहा	1.645	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर सम्भाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली जरहा माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1542-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	ग्राम नौबा	0.083	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर सम्भाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली जरहा माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

बालाघाट, दिनांक 1 जून 2012

क्र. 7029-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	थाना	3.853	प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर	सिवनी कटंगी (एस. एच. 54) एम. डी. आर. मार्ग परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन विकास बायपास निर्माण हेतु
		प.ह.नं.	(संरचना सहित).	संभाग, जबलपुर.	
		10/1			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 7030-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	ग्राम खरमिया	1.669	प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर	सिवनी कटंगी (एस. एच. 54) एम. डी. आर. मार्ग परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन विकास बायपास निर्माण हेतु
		प.ह.नं.	(संरचना सहित).	संभाग, जबलपुर.	
		10			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 7031-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	अर्जुननाला	7.024	प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट	सिवनी कटंगी (एस. एच. 54)
		प.ह.नं.	(संरचना	कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर	एम. डी. आर. मार्ग
		10/1	सहित).	संभाग, जबलपुर.	परियोजना के अन्तर्गत उन्नयन विकास बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 7032-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	खापा	0.940	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर	राजीव सागर परियोजना की
		प.ह.नं.	(संरचना	परियोजना संभाग क्रमांक 3,	झालीवाड़ा मायनर एवं मुच्य
		24	सहित).	कटंगी, तहसील कटंगी,	नहर प्रयोजन हेतु.
				जिला बालाघाट.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3, कटंगी, तहसील कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 7033-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	अंसेरा	0.448	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर	राजीव सागर परियोजना की
		प.ह.नं.	(संरचना	परियोजना संभाग क्रमांक 3,	अंसेरा मायनर क्रमांक 3,4,5
		23	सहित).	कटंगी तहसील कटंगी,	अतिरिक्त भूमि प्रयोजन.
				जिला बालाघाट.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3, कटंगी, तहसील कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 7034-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	खडकपुर	निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर	राजीव सागर परियोजना की
		प.ह.नं.	0.101	परियोजना संभाग क्रमांक 3,	खडकपुर मायनर क्रमांक 1
		23	(संरचना सहित).	कटंगी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट।	अतिरिक्त भूमि प्रयोजन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है तथा कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी तहसील कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 4 जून 2012

प्र. क्र.-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	बरखेड़ी	1.992	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर।	बरखेड़ी जलाशय नहर भाग निर्माण।
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरखेड़ी जलाशय नहर भाग निर्माण।				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 4 जून 2012

क्र. 4152-दस-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन (हेक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	लोहारिनटोला	0.486	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	करपा जलाशय नहर निर्माण हेतु.	
		करपा	3.434	संभाग, अनूपपुर.		
		योग .	3.920			

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुष्पराजगढ़ जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
शिवपुरी, दिनांक 4 जून 2012

### संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र.-23-भू-अर्जन-08-09-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	भूमि का वर्णन	अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	टीप
				संपत्ति अर्जन हेतु	खसरा नम्बर	भू-अर्जन प्रस्तावित ब्लौरा	हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
शिवपुरी	पोहरी	कैमा	निजी भूमि	26	0.43	कार्यपालन यंत्री,	अपर	पूर्व में 0.043 प्रकाशित
			68.755 हे.	37	0.010	जल संसाधन	कक्षी	पूर्व में 0.100 प्रकाशित
			कुआ 4	84	0.46	संभाग, ग्वालियर,	परियोजना की ढूब	पूर्व में 0.48 प्रकाशित
			वृक्ष 39	90	—		ढूब क्षेत्र से बाहर	
				111	—		ढूब क्षेत्र से बाहर	
				164	0.13		पूर्व में सर्वे नं. 164/1 प्रकाशित	
				164/2	—		विलोपित	
				210	1.050		पूर्व में 0.050 प्रकाशित	
				211	1.050		पूर्व में 0.050 प्रकाशित	
				235	0.290		पूर्व में 1.290 प्रकाशित	
				239	0.160		पूर्व में 0.105 प्रकाशित	
				264	0.250		पूर्व में 0.26 प्रकाशित	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 24 मई 2012

प्र. क्र. 55-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—चीनौर
- (ग) ग्राम—भीमबाड़ा
- (घ) क्षेत्रफल—2.594 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
211/2ख	2.353	0.060			
142/2	3.898	0.315			
141मिन 2	4.776	0.390	1/2/2	8.361	0.082
140 मिन 2	2.299	0.151	8	0.836	0.186
139 मिन-1	1.264	0.150	17	2.989	0.351
139 मिन-2	1.944	0.150	16	2.090	0.227
138/1	3.345	0.060	20	5.757	0.114
219	0.732	0.112	244 मिन	0.481	0.105
236/1-1	1.045	0.050	245/3	2.788	0.104
236/2	3.334	0.277	245/5	3.500	0.356
250	6.017	0.321	246	0.721	0.068
231	7.274	0.318	247	0.930	0.092
230	1.202	0.144	256 मिन	1.583	0.037
256	6.156	0.060	257 मिन	0.235	0.056
234/1 मिन	0.230	0.026	258/1	0.408	0.020
235	0.042	0.010	258/2	0.397	0.250
	योग .	2.594			

(1)	(2)	(3)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।		
258/3	0.397	0.018	ग्वालियर, दिनांक 31 मई 2012		
259	1.369	0.229			
261/2 मिन	0.314	0.200			
261/2 मिन	2.314	0.386	प्र. क्र. 37-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		
239/1/1ख	0.836	0.175			
239/1/2	0.439	0.105			
239/1/3	0.564	0.080			
239/3	2.279	0.226			
232/1/4	1.547	0.120			
232/1/5	1.568	0.120			
232/1/6	1.557	0.115			
232/1/7	1.486	0.100			
232/1/11 मिन	1.000	0.115	(1) भूमि का वर्णन—		
232/1/12	1.860	0.190	(क) जिला—ग्वालियर		
231	0.596	0.092	(ख) तहसील—डबरा		
230 मिन	0.345	0.137	(ग) ग्राम—सूखापठा		
258/3	0.397	0.018	(घ) क्षेत्रफल—10.126 हेक्टेयर		
227 मिन	0.312	0.062	सर्वे नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
227 मिन	0.423	0.075		(हे. में)	
225 मिन	1.170	0.179	(1)	(2)	(3)
213/1/1	0.627	0.090	30	5.224	0.439
213/1/2	0.209	0.037	31	0.533	0.125
185	0.199	0.020	32	1.154	0.345
211 मिन	0.826	0.115	34	1.151	0.021
186	0.231	0.039	39	1.286	0.219
230 मिन	0.345	0.137	40	0.209	0.052
187/1	0.209	0.046	42	0.334	0.094
188	0.334	0.046	48	1.097	0.021
178/11	0.211	0.061	51	0.261	0.084
216	0.084	0.015	52	0.700	0.105
216	0.146	0.056	53	0.972	0.157
219	0.303	0.098	73	6.280	0.596
1/1	5.525	0.333	74	0.10	0.031
217	0.136	0.050	75/2	0.418	0.209
	योग .	5.387	75/3ख	0.105	0.031
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय मुक्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु,			75/3क	0.783	0.021
			118	4.786	0.021
			120	0.440	0.073

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
121	0.261	0.063	1049	0.073	0.031
134	4.798	0.690	1055	0.063	0.010
270	2.906	0.314	1056	0.439	0.125
272	1.881	0.146	1228	0.302	0.063
284	0.210	0.125	1229	0.230	0.073
283	0.533	0.157	1231	0.627	0.021
285	0.094	0.010	1232	0.366	0.042
286	0.679	0.010	1224	1.296	0.146
287	0.324	0.105	1225	0.982	0.136
308	0.104	0.052	1226	0.042	0.052
306	0.366	0.115	1216	3.344	0.408
312	0.104	0.021	1217	1.508	0.021
303	0.481	0.136	1213	0.679	0.084
300	0.345	0.105	1215	0.314	0.021
299	0.701	0.418	1212	0.972	0.219
824	0.052	0.031	1211	0.836	0.021
823	0.345	0.073	1210	2.56	0.366
825	0.178	0.084	1206	0.637	0.042
827	0.293	0.021	1176	1.203	0.146
822	0.199	0.105	1201	1.985	0.136
812	0.073	0.010	1200	0.732	0.063
813	0.105	0.021	1199	0.575	0.052
814	0.147	0.073	1198	0.847	0.073
806	0.167	0.105	1197	1.567	0.094
805	0.105	0.073	1196	1.568	0.010
804	0.157	0.052	1194	3.313	0.240
801	0.063	0.021	1190	0.067	0.010
800	0.063	0.031	1188	1.411	0.418
799	0.084	0.042	1189	4.474	0.502
778	0.230	0.115	1180	1.429	0.010
779	0.543	0.115		योग . .	10.126
752	0.032	0.021			
753	0.073	0.010	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध रमौआ नहर की 2-आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.		
780	0.261	0.010			
751	0.230	0.105	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.		
749	0.199	0.021			
748	0.638	0.105	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
1048	0.387	0.136			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध रमौआ नहर की 2-आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,	20	0.400
राजस्व विभाग	21	0.170
	22	0.050
शिवपुरी, दिनांक 4 जून 2012	23	0.040
	25	0.040
प्र. क्र. 23-2008-09-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	26	
	27	0.020
	28	0.390
	29	0.410
	30	0.390
	31	0.410
	33	0.030
(1) भूमि का वर्णन—	34	0.230
(क) जिला—शिवपुरी	35	0.300
(ख) तहसील/तालुक—पोहरी	36	0.600
(ग) नगर/ग्राम—कैमा	37	0.010
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—68.755 हेक्टेयर.	38/1	0.050
	38/2	0.360
	39	0.370
खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हे. में)	
(1)	(2)	
2/293	1.640	40
3	0.590	41
4	0.190	42
5	0.190	43
6	0.610	44
7	0.300	44/291
8	0.470	45
9	0.140	46
10	0.360	47
11	0.070	48
12	0.320	49
13	0.150	50
14	0.210	52
15	0.210	53
17	0.150	54
18	0.090	55
19	0.110	56
		57
		58

(1)	(2)	(1)	(2)
59	0.310	164	0.130
60	0.560	165	0.230
61	0.560	166	0.230
62	0.520	167	0.060
63	0.450	168	0.280
64	0.020	170	0.360
65	0.023	171	0.150
66	0.021	172	0.300
68	0.760	174	0.760
69	0.090	175	0.260
70	0.190	176	0.280
71	0.081	177	0.420
72	0.180	179	0.850
73	1.430	181	0.210
74	1.190	182	0.090
75	0.680	183	0.010
77	0.010	186	0.180
78	0.190	187	0.160
80	0.470	188	0.140
81	0.440	190	0.130
83	0.480	191	0.240
84	0.460	192	0.460
91	0.220	193	0.050
92	0.210	194	0.290
93	0.170	195	0.080
94	0.220	196	0.170
95	0.730	197	0.090
96	0.930	198	0.350
137	0.180	199	0.050
141	0.670	200	0.160
142	0.960	201	0.170
149	1.540	202	0.080
150	1.710	203	0.150
151	1.050	204	0.160
152	1.380	205	0.050
153	1.680	207	1.460
154	2.920	208	3.130
155	1.640	209	1.050
161	0.170	210	1.050
163	0.510		

(1)	(2)	(1)	(2)
211	1.050	254	0.100
213	1.460	255	0.060
214	1.460	256	0.500
215	2.100	258	0.160
218	0.830	259	0.140
219	0.080	260	0.140
221	0.200	261	0.290
222	0.190	262	0.020
223	0.060	264	0.250
224	0.180	265	0.260
225	0.080	योग . .	68.755
226	0.200		
227	0.090	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अपर ककेटो परियोजना की इूब क्षेत्र हेतु.	
228	0.170		
229	0.110	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.	
230	0.180		
231	0.100	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
233	1.050	जॉन किंगसली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.	
234	1.090		
235	0.290		
236	0.150	कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,	
237	0.130	बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	
238	0.030	पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
239	0.160		
240	0.170	रीवा, दिनांक 26 मई 2012	
241	0.070		
242	0.020	क्र. 1417-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का	
243	0.170	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित	
244	0.110	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक	
245	0.060	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	
246	0.050	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित	
247	0.040	किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन	
248	0.040	हेतु आवश्यकता है:—	
251	0.220	अनुसूची	
252	0.070	(1) भूमि का वर्णन—	
253	0.150	(क) जिला—रीवा	
		(ख) तहसील—सिरमौर	
		(ग) नगर/ग्राम—उमरी 39	

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.662 हेक्टेयर.	(1)	(2)
खसरा	रकबा	1201
नम्बर	(हे. में)	1286
(1)	(2)	मध्यप्रदेश शासन
504	0.166	0
522	0.164	कुल योग . .
524	0.080	0.132
529	0.023	
1054	0.045	
1105	0.027	
1623	0.052	
1624	0.045	
1625	0.060	
योग . .	<u>0.662</u>	
मध्यप्रदेश शासन	निल	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर सिरमौर वितरिका, की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1419-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—राजगढ़ 496
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.135 हेक्टेयर।

खसरा	रकबा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)	(हे. में)
(1)	(2)	
909	0.061	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक, नहर की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 31 मई 2012

क्र. 1487-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—लक्ष्मणपुर
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.558 हेक्टेयर

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
608	0.025
630	0.009
633	0.031
636	0.035
637	0.050
640	0.044
641	0.032
644	0.016
1062	0.028
1063	0.048

(1)	(2)	(1)	(2)
1064	0.010	26	0.015
1067	0.008	44	0.006
1068	0.012	45	0.206
1069	0.042	46	0.126
1070	0.024	47	0.038
1071	0.028	56	0.026
1072	0.004	57	0.062
1322	0.112	59	0.004
योग . .	<u>0.558</u>	60	0.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्षेत्री नहर की लक्ष्मणपुर शाखा की लक्ष्मणपुर माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	61	0.003
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	62	0.039
	63	0.004
	64	0.080
	75	0.075
	76	0.084
	77	0.075

क्र. 1489-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—रीवा	126	0.040	
(ख) तहसील—हुजूर	132	0.034	
(ग) ग्राम—जोरी, ज.नं. 210	250	0.004	
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.437 हेक्टेयर.	251	0.034	
खसरा	अर्जित रकमा		
नम्बर	(हे. में)		
(1)	(2)		
11	0.003	252	0.024
12	0.002	253	0.032
13	0.003	254	0.010
14	0.003	265	0.086
15	0.006	266	0.170
24	0.010	268	0.004
25	0.014	269	0.003
		270	0.028
		271	0.032
		272	0.044

(1)	(2)	(1)	(2)
273	0.058	31	0.010
275	0.028	32/2/2	0.030
288	0.084	32/1	0.060
289	0.054	32/3/2	0.096
290	0.054	32/4/2	0.050
291	0.054	33	0.092
योग . .	<u>2.287</u>	37	0.014
		योग . .	<u>0.420</u>

**मध्यप्रदेश शासन**

9	0.084
264	0.066
योग . .	<u>0.15</u>
महायोग . .	<u>2.437</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की जोरी सब-माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1491-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—खौर, 146
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.420 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
28	0.054
29	0.014

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की जोरी सब-माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1493-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—खौर, 145
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.912 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
507	0.200
508	0.004
509	0.144
511	0.028
513	0.068
514	0.036
515	0.044

(1)	(2)	अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—
525	0.072	अनुसूची
527	0.108	
528	0.013	
529	0.076	(1) भूमि का वर्णन—
530	0.004	(क) जिला—रीवा
531	0.068	(ख) तहसील—हुजूर
532	0.004	(ग) ग्राम—कोठी देवार्थ
603	0.150	(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.473 हेक्टेयर
604	0.024	खसरा अर्जित रकबा
607	0.152	नम्बर (हे. में)
608	0.101	(1) (2)
609	0.020	41 0.008
614	0.058	42 0.004
618	0.024	43 0.105
620	0.072	44 0.104
621	0.106	45 0.096
623	0.008	46 0.248
656	0.136	49 0.012
664	0.008	50 0.144
योग . .	<u>1.728</u>	51 0.008
		57 0.138
		58 0.061
		59 0.143
622	0.108	106 0.051
655	0.076	107 0.039
योग . .	<u>0.184</u>	108 0.024
महायोग . .	<u>1.912</u>	122 0.021
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की खाँड़ माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	123 0.205	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	125 0.004	
क्र. 1495-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के	126 0.080	
	127 0.074	
	128 0.006	
	129 0.243	
	218 0.020	
	219 0.004	
	385 0.004	
	386 0.147	
	387 0.058	
	388 0.095	

(1)	(2)	अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
389	0.064	अनुसूची
128	0.086	
129	0.243	
137	0.063	(1) भूमि का वर्णन—
218	0.020	(क) जिला—रीवा
219	0.004	(ख) तहसील—हुजूर
385	0.004	(ग) ग्राम—शिल्परी
386	0.147	(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.786 हेक्टेयर
387	0.058	खसरा अर्जित रकमा
388	0.095	नम्बर (हे. में)
389	0.064	(1) (2)
433	0.004	97 0.052
434	0.156	98 0.022
436	0.008	99 0.004
437	0.120	100 0.144
438	0.004	104 0.016
439	0.116	115 0.074
योग . .	<u>3.402</u>	116 0.032
		117 0.004
		118 0.061
<b>मध्यप्रदेश शासन</b>		119 0.090
137	0.063	121 0.128
435	0.008	122 0.004
योग . .	<u>0.071</u>	123 0.020
महायोग . .	<u>3.473</u>	127 0.136
		130 0.088
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिल्परी वितरक की शिल्परी माईन एवं जोरी सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु,	131 0.020	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	167 0.013	
	168 0.016	
	169 0.004	
	257 0.090	
	258 0.090	
	290 0.056	
	291 0.008	
	294 0.036	
	302 0.028	
	303 0.094	
	304 0.045	
	307 0.077	

क्र. 1497-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

(1)	(2)	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
346	0.192	
348	0.016	
349	0.052	
353	0.052	
354	0.058	
357	0.029	
466	0.202	
472	0.090	
473	0.080	
474	0.077	
475	0.036	
476	0.048	
योग . .	<u>2.384</u>	
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—रीवा
		(ख) तहसील—हुजूर
		(ग) नगर/ग्राम—लौआ
		(घ) क्षेत्रफल लगभग—खसरा क्र. 1683/2 पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
		खसरा
		नम्बर
		(1) (2)
		1683/2 भवन अर्जन हेतु.

## मध्यप्रदेश शासन

120	0.008
125	0.152
126	0.024
301	0.016
305	0.052
306	0.016
308	0.082
347	0.020
356	0.032
योग . .	<u>0.402</u>
महायोग . .	<u>2.786</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की क्योटी नहर की शिलपरी वितरक की शिलपरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 6 जून 2012

क्र. 1552-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर से प्रभावित संपत्ति ग्राम-लौआ के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाण सागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1554-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—सिरमौर  
 (ग) नगर/ग्राम—भस्मा-413  
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.356 हेक्टेयर

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
59	0.356
योग . .	<u>0.356</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर से प्रभावित संपत्ति ग्राम-लौआ के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाण सागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 28 मई 2012

प्र. क्र. 05-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—बुधनी
- (ग) नगर/ग्राम—हथलेवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.680 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
34	0.121
22/1	0.161
23/1	0.198
23/3	0.121
17/2	0.166
4,5/1	0.030
4,5/3	0.167
4,5/2	0.169
18/2	0.161
10/5	0.095

(1)	(2)
10/4	0.098
10/2	0.098
10/1	0.095
योग . .	1.680

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के तहत मुख्य नहर की टेल माईनर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—बुधनी
- (ग) नगर/ग्राम—परसवाड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.106 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हे. में)	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(2)
9-10/1क/1	0.090	
9-10/8	0.218	
9-10/6	0.323	
11/2	0.161	
12/2	0.153	
12/3	0.161	
योग . .	1.106	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के तहत मुख्य नहर की टेल माईनर नहर का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश	(1)	(2)	(3)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	174/2/1	1.193	1.193
राजस्व विभाग	174/2/2	1.173	1.173
रायसेन दिनांक 31 मई 2012	योग . .	32.692	22.879

प्र. क्र. 01-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

### ग्राम—चन्दपुरा

(1) भूमि का वर्णन—	11/1/2	3.231	0.210
(क) जिला—रायसेन	145	0.255	0.030
(ख) तहसील—सिलवानी	106	0.429	0.012
(ग) ग्राम—अमगवां, चन्दपुरा, चैनपुर, गुन्दरई, पिपलियाखास, पौनार, पौड़ी, सालाबर्ड, प्रतापगढ़, मरहठी।	107	0.190	0.018
(घ) क्षेत्रफल—42.934 हेक्टेयर	108	0.121	0.024
	109	0.320	0.030

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किया गया रकबा (हे. में)	95	0.231	0.072
(1)	(2)	(3)	97,98	0.081	0.030

### ग्राम-अमगवां

192/1	1.161	1.161	112	0.170	0.012
193/1	1.388	1.388	180/1, 330/180	2.525	0.030
192/3	1.161	1.161	276	0.227	0.012
193/3	1.392	1.392	277	0.223	0.072
190	0.239	0.239	292	1.943	0.162
188	0.890	0.114	28	1.166	0.030
187	0.688	0.078	143	0.267	0.030
189	3.840	1.840	31	2.023	0.070
153/1/1	3.601	3.601	139	0.600	0.150
195/153/2	1.619	1.619	93	0.109	0.024
155/1	1.465	0.865	96	0.206	0.030
155/3	1.465	0.465	99	0.053	0.012
192/2	1.165	1.165	100	1.080	0.018
193/2	1.388	1.388	102	0.049	0.030
153/1/2	0.405	0.405	103	0.206	0.024
153/2	1.619	1.619	110	0.279	0.084
154	5.075	1.075	339/182	1.578	0.150
155/2	1.765	0.860	72	9.154	0.210

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
278	0.878	0.150	94	1.092	0.159
267	1.436	0.222	93	0.466	0.032
299	2.606	0.210	237/1	5.463	0.438
योग . .	<u>43.467</u>	<u>2.806</u>	179	0.575	0.024
			170,167	4.969	0.108
<b>ग्राम—चैनपुर</b>			156	0.729	0.024
15	0.563	0.060	90	0.817	0.090
16	0.874	0.060	89	0.979	0.144
333/226	0.534	0.060	योग . .	<u>24.640</u>	<u>1.655</u>
<b>ग्राम—पिपलिया खास</b>					
66	0.486	0.078			
67	0.883	0.120			
224/1	2.853	0.150	192	5.070	0.114
224/2	0.454	0.048	272/118	0.405	0.090
347/237	0.821	0.018	156	0.445	0.180
237	4.124	0.240	161	0.231	0.012
242	3.391	0.060	119/5	0.316	0.012
12	3.038	0.060	119/4	0.304	0.150
216	2.274	0.042	119/6	0.202	0.018
212	1.534	0.180	157	0.567	0.024
214/2	1.598	0.150	67	0.773	0.090
226/2	0.691	0.168	68	1.428	0.090
226/1	1.214	0.060	252/202/1	0.178	0.075
233,236	1.246	0.030	252/202/2	0.178	0.075
251/1	1.412	0.048	176/1	0.332	0.180
252,253/1	0.683	0.090	155/1/1	1.214	0.294
251/2	1.466	0.330	155/1/2	1.214	0.294
331/138	2.246	0.228	160/1	0.445	0.120
154	1.647	0.300	160/2	1.169	0.180
114/2	0.125	0.030	16	5.244	0.228
115	0.161	0.030	17	6.366	0.330
योग . .	<u>34.318</u>	<u>2.640</u>	20	4.727	0.030
			21	2.063	0.210
<b>ग्राम—गुदरझ</b>			22	2.541	0.150
168	6.321	0.270	69	0.421	0.012
171	0.117	0.012	79	0.640	0.096
199	0.656	0.090	80	2.221	0.120
153	2.096	0.162	119/2, 118/2	0.539	0.060
154	0.283	0.090	119/3, 118/3	0.380	0.024
96	0.077	0.012	योग . .	<u>39.613</u>	<u>3.258</u>

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<b>ग्राम—पोनार</b>					
110/1	0.746	0.015			
110/2	0.681	0.015	258	4.454	0.240
30/1	0.129	0.030	254,255,256,257	3.079	0.510
7	0.421	0.060	योग . .	7.533	0.750
26	0.134	0.060			
32	0.547	0.060			
144/1/1,145,146	4.483	0.020	<b>ग्राम—प्रतापगढ़</b>		
137	1.983	0.180			
134	7.260	0.042	266	1.838	0.300
13	0.061	0.018	231	0.121	0.012
29/1	0.397	0.036	232	0.134	0.024
111/1	0.761	0.090	252	0.312	0.090
33	0.624	0.150	253	0.166	0.090
34	4.144	0.090	296/127	0.154	0.036
146/1/2	0.809	0.020	45/1	1.214	0.090
146/2	0.150	0.020	45/2	0.898	0.090
148/1	0.200	0.030	267/1	2.428	0.024
148/2	0.201	0.030	250/2, 251	1.198	0.150
12	0.113	0.048	250/1, 251	1.198	0.060
8	0.139	0.030	249	3.060	0.348
9	0.140	0.018	132	0.089	0.120
29/2	0.671	0.030	127	0.134	0.070
151	0.534	0.180	41	0.278	0.018
152	0.813	0.150	योग . .	26.141	1.422
				40	4.306
				281/2	0.830
<b>ग्राम—पोडी सालाबर्ला</b>					
				280	6.940
				276	1.530
101	7.474	0.048	277	5.690	0.390
47	1.529	1.529	263	0.721	0.036
46	1.659	1.000	योग . .	33.239	2.644
44/4	1.072	0.400	महायोग . .	255.280	42.934
44/1	0.421	0.421			
44/2	0.741	0.741			
44/3	0.741	0.741			
योग . .	6.163	4.832			

(2) भूमि का नक्शा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायसेन, दिनांक 4 जून 2012

(1)

(2)

(3)

256, 257, 258, 259,		0.430	0.430
261, 262, 263			
264/1/1		1.112	0.081
		योग . .	7.957

प्र. क्र. 03-अ-82-10-11-सुल्तानजहांपुर, टेहरी, खजूरिया 10-11-भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन	237, 238/2,	1.178	0.440
(ख) तहसील/तालुका—गैरतगंज	253/2		
(ग) नगर/ग्राम—सुल्तानजहांपुर, टेहरी, खजूरिया	238/1, 253,	4.071	3.666
(घ) लगभग क्षेत्रफल—155.82 हेक्टेयर.	569/253		

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)	(1)	(2)	(3)
			242, 243, 244	245, 247	
				249	0.235
				251	0.275
				252	0.105
				254, 255, 256	2.328
				257	0.364
				258/1	0.158
155/1	1.491	0.141		259/1	1.481
155/2	0.536	0.321		259/2	0.527
156/1	1.165	0.121			
157/1, 159, 160,	4.950	0.141			
161, 162, 170					
218/1	1.214	0.065			
224/1/2/1	0.880	0.105			
226	0.894	0.344			
227, 229, 230,	1.689	0.281			
231/2					
228	1.619	0.088			
242/1	3.402	0.651			
242/2	3.769	0.560			
248/1	0.893	0.141			
249	0.979	0.979			
250/1	1.183	0.850			
250/2	1.184	0.445			
251, 253	4.931	1.244			
252	2.492	0.969			

## ग्राम—टेहरी

227	1.157	0.604
228, 230, 231,	10.103	8.542
232, 233		

234	0.219	0.219
235	2.564	2.564
236	0.849	0.290

## ग्राम—सुल्तानजहांपुर

155/1	1.491	0.141	254, 255, 256	2.328	2.328
155/2	0.536	0.321	257	0.364	0.364
156/1	1.165	0.121	258/1	0.158	0.158
157/1, 159, 160,	4.950	0.141	259/1	1.481	1.481
161, 162, 170			259/2	0.527	0.527
218/1	1.214	0.065	262, 263,	2.603	2.603
224/1/2/1	0.880	0.105	264, 265		
226	0.894	0.344	266	1.275	1.275
227, 229, 230,	1.689	0.281	268	3.253	3.253
231/2			270, 271, 272	4.156	4.156
228	1.619	0.088	273, 274		
242/1	3.402	0.651	525, 526	0.716	0.316
242/2	3.769	0.560	527	0.652	0.652
248/1	0.893	0.141	529, 530,	4.525	2.521
249	0.979	0.979	531, 532/1		
250/1	1.183	0.850	533/1/1, 534,		
250/2	1.184	0.445	536, 537 540,	2.023	0.481
251, 253	4.931	1.244	543, 544, 545/1/1		
252	2.492	0.969	533/1/2, 534, 537	2.023	0.281
			540, 543, 544, 545		

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
533/1/3, 534, 537, 540, 543, 544, 545	2.023	0.722	34	0.393	0.393
533/2, 534, 536, 537 540, 543, 544, 545	4.256	1.662	35	0.380	0.380
535	4.039	3.566	36/1	1.081	1.081
538/1	1.214	1.086	36/2	0.497	0.497
538/2/1	1.214	0.963	37	0.717	0.717
538/2/2	1.214	1.214	38	2.112	2.112
539	2.051	0.121	39	0.849	0.849
547, 549/1	1.401	1.140	40/1	1.214	1.214
547, 549/2	1.401	1.273	40/2/1/2/1	5.702	3.498
547, 549/3	1.401	1.141	40/2/1/2/2	0.405	0.405
547, 549/4	1.401	1.034	40/2/2	3.667	1.344
547, 549/5	1.404	0.936	54/1/1	1.238	0.999
550/1/2, 551, 556/1	2.023	1.100	54/1/2	0.445	0.445
551/1/1	2.833	0.160	55	2.047	0.409
योग . .	<u>59.709</u>		56/1	2.403	1.683
			56/2	0.304	0.304

**ग्राम—खजूरिया**

3	0.672	0.672	57	0.737	0.737
4/1	1.351	1.351	58	0.287	0.287
4/2	0.891	0.891	59/1	1.037	1.037
5	0.725	0.725	59/2	0.148	0.148
6	0.571	0.571	60	0.855	0.855
7/1	4.859	3.848	61	0.340	0.340
7/2/1	0.441	0.441	62	0.049	0.049
7/2/2	2.635	1.745	63	0.587	0.587
9	2.910	2.910	83	1.211	0.641
10	5.412	1.920	84	1.343	1.343
11/1	1.072	1.072	86/1/1/1/1	1.012	1.012
11/2	1.072	1.072	86/1/1/1/2	0.405	0.405
13	3.444	1.710	86/1/1/2/1	0.405	0.405
15	1.142	0.648	86/1/1/2/2	0.607	0.607
25	0.470	0.084	86/1/2	1.012	1.012
26	0.733	0.394	86/2/1	0.405	0.405
27	0.271	0.271	88/1	6.005	3.235
28/2/1	0.963	0.531	88/2	0.368	0.368
28/2/2	1.336	1.216	89	0.809	0.809
30	1.971	1.971	90	2.574	2.453
33	0.539	0.539	91	5.031	3.590
			92/1	0.809	0.809

(1)	(2)	(3)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
92/2	1.748	1.580	अनूपपुर, दिनांक 31 मई 2012
93/2/1	1.222	0.442	
93/2/5	1.416	0.202	
93/2/6	1.416	0.121	क्र. 10-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
94/1	3.313	2.549	
94/2	2.832	1.411	
95/1/1	1.214	1.214	
95/1/2	0.830	0.830	
95/2	0.405	0.405	
98	2.607	2.607	
99/1/1	0.162	0.162	अनुसूची
99/1/2	1.412	1.131	
99/2/1	0.373	0.373	(1) भूमि का वर्णन—
99/2/2	0.032	0.032	(क) जिला—अनूपपुर
100	0.243	0.243	(ख) तहसील—कोतमा
101	3.039	3.039	(ग) ग्राम—भाद, चुकान, निमहा, छिड़मिड़ी
102/1/1/1	1.500	0.337	(घ) लगभग क्षेत्रफल — 37.535 हेक्टेयर.
102/1/1/3	1.000	0.181	
102/1/1/4	1.000	0.128	खसरा नम्बर
102/1/1/5	1.500	0.196	अर्जित रकमा (हे. में)
102/2/1	1.214	0.206	(1)
102/2/2	1.214	0.456	(2) ग्राम—भाद
119/13	1.417	1.417	1111 0.061
120/85	0.344	0.344	1120 0.500
121/90	1.076	1.076	1119 0.101
122/11/1	3.379	1.280	1121/2 0.319
122/11/2/1	0.283	0.283	1121/2 0.077
122/11/2/2	0.283	0.283	2435/2 0.178
123/100/1	0.809	0.809	2355/1 0.012
123/100/2/2	1.579	0.736	1119 0.032
123/100/2/2/2	0.660	0.418	2357/1 0.012
	योग . .	88.154	1125 0.072
	महायोग . .	<u>155.82</u>	1138 0.016
			1133 0.012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बांध निर्माण कार्य.			1124 0.026
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.			1126 0.002
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			1135 0.016
			1136 0.019
			1178 0.045
			1179 0.029

(1)	(2)	(1)	(2)
1200	0.016	99/2	0.200
1198	0.009	99/1591	0.162
1202	0.009	990/1	0.450
1203	0.008	990/2	0.069
1204	0.022	990/3	0.607
1243	0.025	109	0.040
1242	0.016	988	0.101
1206	0.022	987	0.101
1253	0.014	986	0.101
1238	0.022	991	0.450
1229	0.025	992/1	0.518
2428	0.041	997/5	0.304
2429	0.012	992/2	0.348
1228/1	0.015	997/2	0.938
1228/2	0.015	997/7	0.146
1227	0.025	992/3	0.283
2435/1/ख	0.100	992/4	0.518
2488/2	0.064	997/8	0.607
2487/1/क	0.020	993	0.101
2487/3	0.030	995	0.174
2485	0.038	996	0.368
2486	0.057	997/3	0.065
2364	0.009	997/4	0.146
2365	0.061	997/6	0.101
2366	0.016	997/9	1.214
2363/1	0.016	998/2	0.579
2363/2	0.022	977/3	0.081
2356	0.016	998/3	0.405
2259/2	0.024	979/1	0.145
<b>ग्राम—चुकान</b>		978/1	0.040
21	0.20	979/2	0.183
32/1	0.089	976/2	0.271
32/2	0.70	978/2	0.073
34	0.045	977/2/क	0.223
36	0.170	<b>ग्राम—निमहा</b>	
37/1	0.165	1447/1/क	0.041
38/1	0.158	1447/1/ख	0.391
25	0.040	1447/2	0.086
37/2	0.049	1449/1/क	0.140
99/1	0.769	1449/1/ख	0.139
99/4	0.405	1450/2	0.652
99/3	0.202	1452/1/क	0.209

(1)	(2)	(1)	(2)
1452/1/ख	0.209	1817/1	0.139
1452/2	0.210	1892/2/क	0.029
1811/1/ख	0.148	1893/2/क	0.030
1881/1	0.160	1894/2/क	0.137
1883	0.101	1895/2/क	0.141
1884/2	0.105	1896/2/क	0.068
1887/1	0.060	1897/3/ख/1	0.089
1890/1/ग	0.110	1817/1/क	0.031
1453	0.733	1817/2/क	0.069
1808/1	0.089	1818/1/क	0.031
1808/2	0.089	1892/2/ख	0.030
1809/2	0.437	1893/2/ख	0.029
1813/2	0.113	1894/2/ख	0.136
1809/3/1	0.380	1895/2/ख	0.142
1810	0.081	1896/2/ख	0.069
1809/3/2	0.053	1897/3/ख/2	0.090
1813/1	0.114	1817/2/ख	0.070
1816	0.040	1818/1/ख	0.030
1815	0.275	1892/3	0.059
1814	0.154	1894/3	0.274
1867	0.250	1895/3	0.283
1869	0.100	1896/3	0.138
1873	0.050	1897/3/ग	0.179
1884/1	0.105	1817/3	0.139
1886/2	0.091	1898/3	0.228
1890/1/ख	0.110	1873/1/क/2	0.015
1885	0.113	1874/1/ख/2	0.035
1886/1	0.040	1895/1/ख/2	0.037
1886/3	0.092	1896/1/2	0.070
1887/4	0.142	1893/1/ख	0.089
1890/1/ग	0.110	1894/1/ग	0.138
1892/1	0.060	1895/1/ग	0.140
1893/1/क/1	0.015	1896/3/क/3	0.088
1894/1/क	0.066	1897/2	1.214
1894/1/क/1	0.035	1897/4	0.299
1895/1/क	0.073	1908	0.291
1895/1/ख/1	0.036	1909	0.238
1896/1	0.068	1910	0.113
1898/3/क/1	0.044	1911/3	0.388
1897/3/क/2	0.046	1912	0.259

(1)	(2)	(1)	(2)
1897/5	0.263	103	0.019
1911/4	0.053	104/2	0.020
1811/1/क	0.030	113	0.022
1811/2/ग	0.030	127/1	0.021
1812	0.267	96/2	0.022
1819/1	0.473	127/2	0.021
1819/2	0.437	96/3	0.022
1820	0.060	628	0.012
1821/2	0.130	96/1	0.022
1905	0.450	96/4	0.022
1906	0.138	96/5	0.022
1907	0.810	217/2	0.050
1913	0.182	209	0.020
1916	0.202	200/2	0.046
1917	0.162	240	0.025
1919	0.160	241	0.024
1920	0.250	197	0.017
1911/2	0.057	196	0.018
1881/2	0.139	195	0.004
1882	0.243	192	0.012
1890/1/क	0.110	177	0.042
1890/1/ड	0.110	429	0.038
1914	0.085	427/1	0.026
1915/1	0.093	264	0.024
1915/2	0.283	649/3	0.011
1918	0.202	650/1	0.008
1927	0.320	650/2	0.008
1929/2	0.160	565	0.017
1930/2	0.418	734/4	0.018
1929/1	0.160	735/1	0.015
1929/3	0.160	441/9	0.018
1930/1	0.418	650/3	0.008
1931	0.032	426/935	0.025
1934	0.043	601	0.024
1944	0.061	422/934	0.019
1945	0.368	633	0.017
<b>ग्राम—छिड़मिडी</b>		634	0.014
124/2	0.051	765	0.024
119	0.035	441/2	0.030
121	0.032		

(1)	(2)
649/1	0.010
734/1	0.018
735/3	0.015
649/2	0.010
438/930	0.013
438	0.036
636/926	0.012
600/3	0.018
630/1	0.024
631/1	0.018
738	0.048
764/1	0.020
764/2	0.020
766	0.022
767	0.039
778	0.048
769/3/ग	0.013
769/3/घ	0.013
769/3/ड	0.013
777/1	0.080
777/2	0.050
806	0.050
योग :	<u>37.535</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बांकी जलाशय योजना हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 1 जून 2012

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—खैरलांजी
- (ग) ग्राम—झारियाँ, प. ह. नं. 44/3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.185 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1) (2)

323/1, 325/6	0.016
326/22	0.055
326/23	0.069
323/3, 325/1	0.017
326/3	0.028
योग :	<u>0.185</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 कटंगी, तहसील कटंगी द्वारा झारिया वितरक नहर क्रमांक 1 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—खैरलांजी

(ग) ग्राम—झरियों-लालपुर, प. ह. नं. 44/3	
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.390 हेक्टेयर	
खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
52/11,12 53/11,12	0.020
291/8	0.035
251/1ज	0.064
251/1श	0.031
33/3, 34/4	0.032
33/5	0.057
444/10, 11, 12	0.060
178/2	0.091
योग :	<u>0.390</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा बैजलपुर जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—बैहर
- (ग) ग्राम—कोमो, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —16.106 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
49	6.478
47	2.445
48/1	0.809
48/2	4.856
42/1	1.518
योग :	<u>16.106</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा बैजलपुर जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—बैहर
- (ग) ग्राम—सिजोरा, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.034 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
35/4	0.109
35/1	0.202
38/1	0.218
34/9	0.044
37/1	0.044
37/2	0.073
38/2	0.028
33/30ड	0.040
46/4	0.049
46/3	0.057
47/2	0.089
47/4	0.016
47/3	0.065
योग :	<u>1.034</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा बैजलपुर जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—बैहर
- (ग) ग्राम—बैजलपुर, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —3.987 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1	0.300
	2 वृक्ष.
5/3	0.372
5/5	0.105
	2 वृक्ष.
4	2.526
	5 वृक्ष.
3/1	0.101
	5 वृक्ष.
9/1	0.117
8/1	0.081
8/2	0.061
9/2	0.061
14/2	0.073
14/4	0.065
15/1	0.065
16/1	0.016
16/2	0.012
16/3	0.032
योग : 3.987	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर तहसील बैहर द्वारा बैजलपुर जलाशय के दायीं बांयी नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—बैहर
- (ग) ग्राम—परसाठोला, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —24.578 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
बांध क्षेत्र ग्राम—परसाठोला	
25/1	0.068
26/2	0.324
	एवं 21 वृक्ष.
22/6	0.178
26/3	0.400
	एवं 2 वृक्ष.
26/4	0.077
	एवं 5 वृक्ष
20	1.578
15	0.068
12	0.388
	एवं 86 वृक्ष.
25/4	0.008
	योग : 3.089

(1)	(2)	(1)	(2)
डुबाने क्षेत्र ग्राम—परसाटोला		41/1	0.121
6	1.310	41/16	0.073
12	0.631	41/7	0.085
20	4.202	41/12	0.012
21	3.255	41/2	0.016
22/1	1.073		योग : 1.100
	एवं 32 वृक्ष.		
22/2	1.214		शासकीय भूमि
22/3	1.129	7	1.055
	एवं 22 वृक्ष.	24/4	1.125
22/11	1.128	41/5	0.008
	एवं 21 वृक्ष.	29	0.024
22/5	1.210		योग : 2.212
	एवं 36 वृक्ष.		
22/6	1.113		कुल भूमि का योग . . . 24.578
	एवं 17 वृक्ष.		
23/1	0.469		
	एवं 17 वृक्ष.		
23/2	0.469		
	एवं 47 वृक्ष.		
23/3	0.465		
	एवं 2 वृक्ष.		
25/1	0.012		
	एवं 18 वृक्ष.		
26/3	0.012		
	योग : 17.692		
<b>स्लीप चैनल ग्राम—परसाटोला</b>			
8	0.485		
	योग : 0.485		
<b>नहर क्षेत्र ग्राम—परसाटोला</b>			
19/1	0.137		
19/2	0.064		
19/3	0.024		
44/16	0.036		
19/5	0.068		
45/1	0.194		
45/2	0.105		
45/3	0.044		
40	0.121		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा हीरापुर जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—बैहर
- (ग) ग्राम—बैहर, झारखेडा, सहेजना, प. ह. नं. 40 एवं 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —42.890 हेक्टेयर।

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

ग्राम—बैहर

(1)	(2)	(1)	(2)
38	0.121	39/1	1.606
20	0.283	41/2	4.589
41/1, 45/1, 9	0.809	28	0.195
47/1, 2	0.121	27	0.532
48/1	0.607	43	2.833
17/1ख	1.011	42/1	1.359
योग :	<u>5.024</u>	26	0.152
		22	0.027
		74/1,2	0.046

**ग्राम—झारखेडा**

29/1,2	1.678	37	0.470
38/1,2	2.451	30	0.194
25 /1,2	0.320	39	1.622
31/1,2	0.575	40	3.983
32	1.282	योग :	<u>22.318</u>
36/1, 2,3	1.415	कुल योग :	<u>42.890</u>
44	2.646		
47/1, 2	1.527		
51/1, 2,3	1.011		
योग :	<u>12.905</u>		

**ग्राम—सहेजना**

90/1,2,3	0.138
89	0.139
88/2	0.153
91/1,2,3	0.277
73/1,2,3	0.240
72/1,2,3	0.081
70/10	0.234
42	0.064
15/1,4	0.372
13/1	0.105
12/1,2	0.111
0.046	0.189
67/3	0.041
68/1,2	0.200
69/12, 13	0.107
41/2	0.192
योग :	<u>2.643</u>

**राजस्व भूमि**

ग्राम—झारखेडा बैहर सहेजना	
17/1, 2,3	4.690
17/4ग	0.020

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर द्वारा झारा जलाशय के बांध ढूब क्षेत्र एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. -अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—तिरोडी
- (ग) ग्राम—अर्जुनटोला, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.035 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
555, 556/2	0.035
योग :	<u>0.035</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी तहसील कटंगी द्वारा आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
 (ख) तहसील—तिरोडी  
 (ग) ग्राम—बम्हनी, प. ह. नं. 04  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.080 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
43/4	0.080
योग :	0.080

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी तहसील कटंगी द्वारा साहूटोला वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
 (ख) तहसील—तिरोडी  
 (ग) ग्राम—चाकाहेटी, प. ह. नं. 05  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.100 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
407/1	0.100
योग :	0.100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी तहसील कटंगी द्वारा आजनबिहरी वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट  
 (ख) तहसील—तिरोडी  
 (ग) ग्राम—सुकली, प. ह. नं. 05  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.084 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
39/7	0.040
39/8	0.044
योग :	0.084

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी तहसील कटंगी द्वारा सुकली वितरक नहर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—बालाघाट  
 (ख) तहसील—तिरोडी  
 (ग) ग्राम—कपूरबिहारी, प. ह. नं. 19  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.141 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
36/4	0.141
योग : 0.141	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी तहसील कटंगी द्वारा पुलपुट्टा वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—बालाघाट  
 (ख) तहसील—खैरलांजी  
 (ग) ग्राम—सुकडीघाट, प. ह. नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.230 हेक्टेयर.	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	
109/8	0.089	
105/8	0.016	
57/3, 63/2	0.073	
57/1, 95/3	0.052	
योग : 0.230		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कार्यपालन यंत्री राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 कटंगी तहसील कटंगी द्वारा सुकडीघाट वितरक नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
धार, दिनांक 6 जून 2012

क्र. 9195-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
 (ख) तहसील—कुक्की  
 (ग) ग्राम—मगदी  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —4.372 हेक्टर

सर्वे नंबर	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
9/1	0.064
1	0.160
35	0.090
39/1	0.128
39/2/1	0.128
39/3/2	0.064
40	0.168

(1)	(2)
85	0.160
84	0.144
56/1	0.100
56/2	0.090
77	0.160
76/1	0.100
58	0.240
64/3	0.180
65	0.096
122/12	0.152
265/2	0.080
265/1	0.055
265/4	0.300
265/7	0.130
265/3	0.045
271	0.043
272/1	0.021
272/2	0.021
272/3	0.021
282/1	0.056
282/3	0.056
283	0.048
284	0.080
318/2/2	0.080
277	0.028
219	0.050
320	0.028
240/2	0.032
322/1/2	0.124
336/2	0.120
337	0.060
238/2	0.106
238/1	0.106
237	0.088
235/4	0.040
253/3	0.040
235/2	0.036
235/1	0.096
232	0.070
191	0.076
214	0.012
योग :	4.372

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुर्की तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्डौर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्डौर, दिनांक 8 जून 2012

क्र. 101-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक; सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्डौर
- (ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
- (ग) ग्राम—भाटखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल — 1.125 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	विभाग द्वारा प्रस्तावित (3)
(1)	(2)	(3)
314/7	पार्ट	0.202
314/9	पार्ट	0.020
333/1	पार्ट	0.250
333/2	पार्ट	0.060
333/3	पार्ट	0.020
333/4	पार्ट	0.050
336/1/1/2/1	पार्ट	0.066
336/1/1/2/2	पार्ट	0.012
336/1/2/1	पार्ट	0.060
336/1/2/2	पार्ट	0.025
336/1/3/1	पार्ट	0.360
योग :		1.125

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत महू-धाटाबिल्लोद मार्ग के फोरलेनिंग निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. इन्डौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राधवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण में प्रभावित होने से।

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर**

जबलपुर, दिनांक 30 मई 2012

क्र. A-892-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 14 से 20 मई 2012 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21 मई 2012 से 2 जून 2012 तक तेरह दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 मई 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-894-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 19 से 25 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-896-दो-3-66-2011.—श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर दिनांक 31 मई 2012

क्र. A-900-दो-3-10-2006.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 26 अप्रैल से 2 मई 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-902-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्लाम को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्लाम को रत्लाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-904-दो-2-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 25 से 28 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-906-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च 2012 से दिनांक 1 अप्रैल 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-908-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 19 से 24 मार्च 2012 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मार्च 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 मार्च 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-910-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 27 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-912-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 24 से 28 अप्रैल 2012 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार